न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 9/2022

श्योपत सिंह पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी कलाना त0 भादरा।

-प्रार्थी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र काशीराम जाति खाती निवासी कलाना त0 भादरा।
2. उप पंजीयक/सब रजिस्ट्रार भादरा।

- अप्रार्थी

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण - प्रार्थी

वकील श्री विरेन्द्र जाखड़ - अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 18.10.22**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 633/565 के खसरा न0 640 की 4.023है0 व खसरा नं0 645 की 6.249है0 कुल खसरा 2 की कुल 10.272है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी श्योपत सिंह का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 विक्रम सिंह का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 प्रत्येक 1/12–1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के अलावा बेगराज का 1/12 हिस्सा, भागीरथ का 1/6 हिस्सा, रामचन्द्र का 1/12 हिस्सा, शान्ति देवी का 1/12 हिस्सा, सुभाष का 1/3 हिस्सा व सुलतान का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य काश्त व लगान की बाबत आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी स0 1 विक्रम सिंह अन्य लोगो के बहकावे मे आकर वाद कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाए बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के वाद कृषि भूमि में अच्छे किस्म की कृषि भूमि को विक्रय कर अन्य पक्षकार को हस्तांतरित करना चाहता है। जिसके लिए अप्रार्थी सं0 1 विक्रम सिंह बार बार अजनवी लोगो को कृषि भूमि दिखा रहा है और ऐलानिया धमकी दे रहा है कि वाद कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाए बिना कृषि भूमि में अच्छी किस्म की कृषि भूमि को बेचान कर अजनवी लोगो को काबिज बनाएगा। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद करवा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी अप्रार्थी के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह खाता विभाजन होने से पूर्व वाद भूमि के रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी स0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के अलावा अन्य भी खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी एव अप्रार्थी के मध्य भूमि की काश्त सींव डोल, फसल के बंटवारे को लेकर आपस मे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है। वादभूमि गांव कलाना की आबादी के पास पडती है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के पूर्वजो ने आज से सैकडों वर्ष पूर्व बंटवारा करके दे दी थी तथा अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी का पूख्ता विभाजन उनके दादा–परदादा के समय से किया हुआ है । उसी हिसाब से प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 अपने हक में कब्जे मे आए भूमि में बिना किसी रोक टोक के पिछले सैंकडों वर्षो से शान्ति पूर्ण तरिके से काबिज है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपने हिस्से मे आई कृषि भूमि को ट्रेक्टर आदि चलाकर काफी खर्चा करके समतल बनाया है एवं अपने अपने हिस्से की भूमि मे ट्यूबवैल लगाकर उससे सिंचाई करते है एव खेत में रिहायशी मकान बना रखे है। गैरसायलान के जीवन यापन का साधन मात्र कृषि पर आधारित है तथा कृषि भूमि से होने वाली उपज से ही अपना जीवन यापन करते है। इसलिए वादभूमि का बंटवारा किया जाना उचित नही

Scanned with CamScanner

है। सायल बिना वजह अपने हिस्से से ज्यादा भूमि ताकत के बल पर काश्त कर रहा है व रिहायशी मकान बना रखे है तथा अपने हिस्से में से प्लॉट काट कर बेच रखे है। गैरसायल द्वारा कृषि भूमि को बेचान नहीं किया जा रहा है। सायल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। वादभूमि के संबध में अगर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा गैरसायल अपने हिस्से की कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगा। अत जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 633/565 के खसरा न0 640 की 4.023है0 व खसरा न0 645 की 6.249है0 कुल खसरा 2 की कुल 10.272है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थी श्योपत सिंह का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी सख्या 1 विक्रम सिंह का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिसाब से खाता अलग करवाना चाहता है तथा अप्रार्थी सं0 1 विक्रम सिह अन्य लोगों के बहकावे में आकर वाद कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाए बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के वाद कृषि भूमि में अच्छे किस्म की कृषि भूमि को विक्रय कर अन्य पक्षकार को हस्तांतरित करना चाहता है। जिसके लिए अप्रार्थी सं0 1 विक्रम सिंह बार बार अजनवी लोगों को कृषि भूमि दिखा रहा है और ऐलानिया धमकी दे रहा है कि वाद कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाए बिना कृषि भूमि मे अच्छी किस्म की कृषि भूमि को बेचान कर अजनवी लोगों को काबिज बनाएगा। यदि बिना विभाजन करवाये वह अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय कर देता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी अपने हिस्सा की भूमि का अच्छी व मंदी के हिस्सा से खाता विभाजन करवा पाने व अप्रार्थी सं0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है।

वकील अप्रार्थी ने बहस कर निवेदन किया कि वादभूमि संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के अलावा अन्य भी खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य भूमि की काश्त सींव डोल, फसल के बंटवारे को लेकर आपस में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है। वादभूमि गांव कलाना की आबादी के पास पडती है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के पूर्वजों ने आज से सैकडों वर्ष पूर्व बंटवारा करके दे दी थी तथा अपने हिस्से के अनुसार काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी का पूख्ता विभाजन उनके दादा–परदादा के समय से किया हुआ है। उसी हिसाब से प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 अपने हक में कब्जे में आए भूमि में बिना किसी रोक टोक के पिछले सैकडों वर्षो से शान्ति पूर्ण तरिके से काबिज है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को ट्रेक्टर आदि चलाकर काफी खर्चा करके समतल बनाया है एव अपने अपने हिस्से की भूमि में ट्यूबवैल लगाकर उससे सिचाई करते है एवं खेत में रिहायशी मकान बना रखे है। गैरसायलान के जीवन यापन का साधन मात्र कृषि पर आधारित है तथा कृषि भूमि से होने वाली उपज से ही अपना जीवन यापन करते है। इसलिए वादभूमि का बंटवारा किया जाना उचित नहीं है। सायल बिना वजह अपने हिस्से से ज्यादा भूमि ताकत के बल पर काश्त कर रहा है व रिहायशी मकान बना रखे है तथा अपने हिस्से में से प्लॉट काट कर बेच रखे है। गैरसायल द्वारा कृषि भूमि को बेचान नहीं किया जा रहा है। सायल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है। वादभूमि के संबंध मे अगर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायल को अपूर्णीय क्षति होगी तथा गैरसायल अपने हिस्से की कब्जा काश्त में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग सही तरीके से नहीं कर सकेगा। अत: जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि गैरसायल के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न की जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे सायल ने गैरसायल को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पावन्द करवाने हेतु वाद पेश किया है एव प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एव दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी वाद भूमि का सह खातेदार है प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी का भी उतना ही हिस्सा वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इस प्रकार उक्त वादभूमि में अप्रार्थी विक्रमसिंह अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार है अप्रार्थी को अपने हिस्सानुसार अपनी कृषि भूमि का उपयोग व

Scanned with CamScanner

उपभोग करने में प्रार्थी को कोई दुविधा प्रकट नहीं होती है। चुकि अप्रार्थी के साथ साथ अन्य सहखातेदार काश्तकार भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्हे प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मे पक्षकार नहीं बनाया गया। जिससे प्रतीत होता है प्रार्थी ने तथ्यो को छुपाकर महज अप्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग करने से वंचित करने के आशय से आवेदन पत्र अस्थाई निषाधाज्ञा पेश किया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खिलाफ व अप्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलन**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण म सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नही। चुकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। प्रार्थी ने अपने दावा व दरख्वास्त में किसी भी प्रकार का कोई घोषणात्मक अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को महज तंग परेशान करने के लिए मिथ्या व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है जिससे प्रार्थी को असुविधा होगी। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजो के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का सतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। किन्तु वादभूमि सयुक्त खाते की भूमि है, यदि कोई खातेदार काश्तकार अच्छी भूमि का बेचान करता है तो अन्य सहखातेदारों को क्षति होने की संभावना है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध वादभूमि के उपयोग व उपभोग के बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया साबित नही पाया जाता है था दूसरे बिन्दु सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हो पाया है। जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा के तीसरे बिन्दु अपूर्णीय क्षति का बिन्दु पूर्ण रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों के पक्ष में साबित नही हो पाया है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र मूल वाद का निस्तारण होने तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उपयुर्क्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने से स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरूद्व गैरसायल इस आशय की पारित किया जाती है कि रोही मोजा कलाना के खाता संख्या 633/565 के खसरा न0 640 की 4.023है0 व खसरा नं0 645 की 6.249है0 कुल खसरा 2 की कुल 10.272है0 बारानी कृषि भूमि में सायल गैरसायल को वादभूमि के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा ताफैसला उत्पन्न ना करे व गैरसायल के विरूद्ध दिनांक 31.01.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश इस हद तक ताफैसला वाद अपास्त किया जाता है कि वे विवादित भूमि में बैंक रहन को छोडकर रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनाक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner